

१९९७-५४

काशीहाय लाईन वालिंग लिमिटेड राजस्थान

संपत्तिकर स्व-निर्धारण

जोन क्रमांक (१)

गुडाखू लाईन (रानी सुर्य मुखी देवी) रामाधीन मार्ग, जयप्रकाश बांड कामठीलाईन, गंजलाईन, सदर बाजार, हलबाई लाईन, सिनेमा लाईन, गोलदाजार, जूनीहटरी, हास्पिटल रोड, मानवमंदिर चौक, जी.ई. रोड, गोगालापाराकृहमालपारा,

जोन क्रमांक (२)

सर्वेश्वरदास बांड, जमातपारा, सिविल लाईन, सोनारपारा, दीवानपारा, भरकापारा, किलापारा, पावरहाउस, कैलाशनगर, कर्माईपारा, मठपारा,

जोन क्रमांक (३)

बलदेवदास, मिलचाल, ठेठवारपारा, हीरामोती लाईन, पठानपारा, चौदाड़ियापारा, इंदिशनगर, नंदई, बासीदास बांड, सतनामीपारा, सूंसपाईपारा, मोहारारोड,

जोन क्रमांक (४)

झेणशनपारा, अम्बेडकर बांड कौरिनभाठा, मोतीपुर, ममतानगर, शाकारपुर, शांतिनगर, चिखली, लखोली, बसंतपुर लेवर कालोनी गोरीनगर,

जोन क्रमांक (५)

दादा, नयाढाबा, पेन्डी, रेवाडीह कन्हारपुरी, मोहारा ग्राम, सिगदई हस्ती, मोहड़,

भवन की आयु के आधार पर डेपीशियेस्ट

० से १० वर्ष

१% प्रतिवर्ष की दर से

११ से १५ वर्ष

१०% + २% प्रत्येक वर्ष के लिए

१६ से २५ वर्ष

२०% + ३% प्रत्येक वर्ष के लिए

२५ वर्ष से ऊपर

५०% फेट (अधिकतम)

नोट- भूमि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।

संपत्ति कर की दरें

जहाँ वापिक भाड़ा मूल्य ६०००/- से अधिक

६ प्रतिशत

हो तेकत १४०००- सेव्हिंग्स्टॉन

८ प्रतिशत

जहाँ वापिक भाड़ा मूल्य १४०००/- से अधिक

केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपकरणों संस्थाओं

१० प्रतिशत

संहकरणी समितियों एवं संस्थागत भवन मूल्यों पर -

समेकित कर की दरें

भूमतम समेकित दर

१८० = ०० वापिक

एस भवन/भूमि जिसे संपत्तिकर से मुक्त रखा गया

१८० = ०० वापिक

है जैसे मंदिर, मस्जिद, मूरुद्वारा, गोगाला आदि -

१८० = ०० वापिक

केन्द्रीय शासन/राज्यशासन/क्षेत्रशासकीय/राजधानी

१८० = ०० वापिक

के उपकरणों आदि के आवासीय बवाटरों पर

१८० = ०० वापिक

जिस भवन का वापिक भाड़ा मूल्य ६०००/- से

१८० = ०० वापिक

अधिक है

भूमतम समेकित कर +

संपत्तिकर का एक प्रतिशत

भूमतम समेकित कर +

गणदा अनुशार संपत्तिकर

की राष्ट्रीय ५ प्रतिशत

देय नहीं होता।

1997-98

कार्यिता आड़ा गुलूब यहीं कारणों के अभाव से परिस्थिति दृष्टि

۱۷۰

वर्षायामिक वर्षायीय दर प्रति वर्षाफट (शुम माहेत)											
आर.सी.सी.		आर.सी.सी.सो.		दोनोंसोंमेंट		फक्ता याचन		आय		भाइया	
आर. वी. वी.	आर. वी. वी.	एवं केवल	पर्याय से पक्का	छत युक्त	पर्याय से पक्का	छत युक्त	पर्याय से पक्का				
मार्वेल	योगदान	छत युक्त	पर्याय से पक्का								
मुद्द्य मार्ग	मुद्द्य मार्ग	मुद्द्य मार्ग से									
पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक
१. तत्त्व प्रत्यक्षता	25	20	20	18	16	14	14	12	12	10	05
प्रथम महिता	15	10	10	09	08	07	07	06	06	05	03
दूसरे ऊपर की महिता	१०	८	८	७	६	५	५	४	४	३	०२
२. तत्त्व प्रत्यक्षता	20	18	18	16	14	12	10	03	03	04	01
इत्यम् भवित्वा	१२	०९	०९	०८	०७	०६	०५	०४	०३	०३	०१
कुत्सरे ऊपर की महिता	२०	१८	१६	१४	१२	१०	०८	०६	०६	०५	०२
३. तत्त्व प्रत्यक्षता	१२	०९	०८	०७	०६	०५	०४	०३	०३	०३	०१
इत्यम् भवित्वा	१२	०९	०८	०७	०६	०५	०४	०३	०३	०३	०१
कुत्सरे ऊपर की महिता	२०	१८	१६	१४	१२	१०	०८	०६	०६	०५	०२
४. तत्त्व प्रत्यक्षता	२०	१८	१८	१६	१४	१२	१०	०६	०६	०५	०२
इत्यम् भवित्वा	१०	०८	०८	०७	०६	०५	०४	०३	०३	०३	०१
दूसरे ऊपर की महिता	१२	१०	१०	०८	०८	०६	०५	०५	०५	०५	०१
५. तत्त्व प्रत्यक्षता	१२	१०	१०	१०	१०	१०	१०	०६	०६	०५	०१
इत्यम् भवित्वा	१२	१०	१०	१०	१०	१०	१०	०५	०५	०५	०१
कुत्सरे ऊपर की महिता	२०	१८	१८	१६	१४	१२	१०	०६	०६	०५	०२

मन्याप्रयत्न विद्वात् मारुते होरा लाग्ये गये ब्रह्मन् पोते इस्त्रायां प्रथम दूर संसार विद्वान् एवं शिष्य अद्वितीय विद्वान् गई तो ही प्रदत्त विद्याये गृहे द्वारा देखाये गये थे।

21

1999 2000

सर्वात्मा पादिन निष्ठ, राजाप्राप्ति ॥

संक्षिप्त विवर - निर्भास्य क्रम 1999-2000

श्रीनु ब्रह्मांक ४१३ - शुद्धादू लाईन्सो ट्रॉफिकी देवी बाडी, रामाधीन मार्ग, कामठी
लाईन, गंज लाईन, सदर बाजार, लालबाई लाईन, स्ट्रीमा-लाईन, गोल बाजार, जयस्तम
चौक, जूनी हटरो, दास्त्यल रोड, सानव मंदिर चौक, गोप्ताला पारा, हमाल पारा,
स्ट्रीमा मंदिर चौक हे नाम्ही योग्य होते हुए गोप्ताला पारा, ली. के रोड + स्ट्रीमा
सानव मंदिर चौक हे नाम्ही योग्य होते हुए गोप्ताला पारा, ली. के रोड + स्ट्रीमा

कालोनी चौक पर रहते हैं। इसका नाम बड़ा चौक है। यहाँ कालोनी का एक बड़ा देवता भी है, जिसका नाम श्री ब्रह्मदेव नाम से जाना जाता है। इस देवता का मंदिर अब नहीं बना रहा है, लेकिन उसकी जगह एक छोटा बांधा बांधा बना रहा है। इस बांधे के नाम से यहाँ का नाम बड़ा चौक हो गया है। इस बड़े चौक के नाम से यहाँ का नाम बड़ा चौक हो गया है। इस बड़े चौक के नाम से यहाँ का नाम बड़ा चौक हो गया है।

रो, मोहारा व्राम-संदर्भ !

उत्तर :- जीन मिमाल्क में वर्दि लोई हेव हूट गया दोस्रा बाद में नड़ कालान। अन्तिम में डायो है, तो कहा। १८ टोक पास के दोष वि निधारित वर

हार्दीग्री ।

// कायलिय नगर पालिक मिशन, राजनौकांव //

संमिति कर रव - निर्धारण १९९९-२००० //

: वार्षिक शांडा मूल्य की गणना के आधार से प्रति कार्फुट वार्षिक दर : १००%

नं	विवरण	पक्का भवन जो सीमेट कंक्रीट या चूने से बना हआ है	कच्चा भवन जो ढाली भूमि कंक्रीट या चूने से आवास व्यवस्था बना हुआ नहीं होता है
		मुख्यमार्ग सुख्यमार्ग से पृथक्	मुख्यमार्ग सुख्य मार्ग से पृथक्

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
----	----	----	----	----	----	----	----

११४	तल तथा भूतल प्रत्येक	20	18	14	12	01	02
१२२	तल तथा भूतल प्रत्येक	18	16	12	10	01	02
१३४	तल तथा भूतल प्रत्येक	16	14	11	09	01	02
१४६	तल तथा भूतल के प्रत्येक	15	13	10	08	01	02
१५८	तल तथा भूतल के प्रत्येक	10	08	06	05	01	01

कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव



सम्पत्तिकर स्व-निर्धारण

(वर्ष 2000-2001)

- जोन क्रमांक (1)** गुडाखु लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23, 24), रामाधीन मार्ग (24, 25, 26), कामठी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31), सदर बाजार (31, 32), हलबाई लाईन (24, 32), सिंमेगा लाईन (23, 32), गोल बाजार (23), जपस्तंभ चौक (23), जूनिटरी (23), हास्पिटल रोड (21, 22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), ह्यालपारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (स्टेंडिंग चौक से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट तक) (13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27)
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकीज रोड (32, 33, 37), ब्राह्मणपारा (32, 33), लंबलयग सिंपी कालांगी (20), जमातपारा (21), सर्वेश्वरदस्य वार्ड (22), रिविल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), बांसपार्डी पारा (37), भरकपारा (25, 26), कैलांग नगर (27), पावर हाउस (27), टांकापारा (13), पुराना गंज चौक से लखांती चौक स्वूल बैंग पास (30), चन्द्रेवारा (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट बैंग शाने से पारीनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17), उद्योग नाली (17), पूरास कॉलोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चंद्रा गृह निर्माण (38), महेश नगर (39), कुंजिविहारी कालोनी (19), म.प्र. हाऊसिंग लोर्ड कॉलोनी (19, 39), गांधी कालोनी (19), सृष्टि कालोनी (39) रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाउस से आरा मझीन रोड होते हुए स्टेंट बैंग कालोनी एवं पूर्ण मार्गेंट तक (27), दीवानपारा (22), विनिजय वार्ड (33), बिलापारा (21, 33, 37)
- जोन क्रमांक (3)** सदरदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए टेट्टवालपारा तक (33, 37), हाँगांती लाईन (34, 37), एटानशारा (35), चौखड़िया पारा (35, 36), इंदिरा नगर (41), नंदड़ (42), धार्सीदास वार्ड (35), पुराना धारा से कुआं चौक तक (31, 34, 37), कुआं चौक से पुराना गंज के पास देशी शाराब दुकान तक (30, 31, 42), सतनामीपारा (35), मोहांग रोड (41, 42), सिंपी ब्रानोनी (36), लखांती रोड से महेश जैन के मजलन तक (29, 43), स्टेंडिंग चौक से पी.टी.एस. तक जी.ई. रोड (17, 19)
- जोन क्रमांक (4)** संदेशनपारा (8, 9, 10), गौरीनगर (12), अम्बेडकर वार्ड (11), वॉरिसमांठा ग्राम (39), मोतीपुर (5, 6), तुलसीपुर (16), शंकरपुर (7), शांतिनगर (4), चिखली (3, 8, 10), बसंतपुरा (40), लेवर कालोनी (15), लखोली ग्राम (29, 43), मटपारा (30), पी.टी.एस. से पेंडी तक जी.ई. रोड (17, 18, 19)
- जोन क्रमांक (5)** नवागांव (1), दावा एवं नया दावा (2), पेंडी (18), रेवाईह (18), कन्दापुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगदई (44), हल्दी (45), मंह (44)

संसाधित वर् वर्गी दरें

जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6000/- से आंशक हो जिन्हे 18000/- से अधिक न हो

6% (छह प्रतिशत)

जहां वार्षिक भाडा मूल्य 18000/- से अधिक हो

8% (आठ प्रतिशत)

25 वर्ष से अधिक पुराने भवने जिनका वार्षिक भाडा मूल्य 18000/- से अधिक हो

6% (छह प्रतिशत)

केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपक्रमों संस्थायों, सहकारी समितियों एवं

10% (दस प्रतिशत)

संस्थागत भवन, भूमियों पर

समेकित कर वर्गी दरें

ऐसे भवनों/भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर वी राशि रु. 90/- वार्षिक।
ऐसे भवन/भूमियों जो सम्पत्ति कर छूट प्राप्त नहीं हैं पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) सम्पत्ति कर वर्गी कुल राशि का 1% (एक प्रतिशत)

केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/अर्द्ध शासकीय के उपक्रमों आदि के आवासीय क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक।

केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/निगम जिन्हें सम्पत्ति कर देय नहीं हैं न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + सम्पत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

आदिक भाषा विद्या

प्रति वर्षिका बोधिक

संक्षिप्त विवरण	अमेरिका की अपेक्षा				
	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से दूर	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से दूर	मुख्य मार्ग से दूर
1. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	19	17	13	11	11
प्रत्येक मोजिल के लिए,	69	65	69	55	55
2. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	17	15	11	9	9
प्रत्येक मोजिल के लिए	68	67	63	57	57
3. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	15	13	10	7	7
प्रत्येक मोजिल के लिए	67	66	63	57	57
4. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	14	12	9	7	7
प्रत्येक मोजिल के लिए	67	66	63	57	57
5. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	10	9	5	2	2
प्रत्येक मोजिल के लिए	65	60	55	50	50
6. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	14	12	9	7	7
प्रत्येक मोजिल के लिए	67	66	63	57	57
7. तेल तथा भूतल (प्रत्येक)	10	9	5	2	2
प्रत्येक मोजिल के लिए	65	60	55	50	50
8. प्रत्येक मोजिल के लिए	65	60	55	50	50
9. प्रत्येक मोजिल के लिए	65	60	55	50	50
10. प्रत्येक मोजिल के लिए	65	60	55	50	50

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये विद्युत पोल ट्रांसफार्मर एवं दूसरे चार विभाग द्वारा भूमि अन्तर बिल्डर्स इलाईन एवं लगाये गये खानों के आज-बाजु ५-५ फीट भूमि पर सम्पत्ति कर दर प्रतिशत के हिसाब से देय होगा।

1



कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

सम्पर्कित कर सक - निधारण

(वर्ष 2001-2002)

- जोन ब्रम्मांक (1)** मुंडाखु लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी का रहा) ; दाई क्रमांक (13, 24), रामाधीन मार्ग (24, 25, 26), कामटी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31). सदर बाजार
 (31, 32), हलवारी लाईन (24, 32), इस्टर्न लाईन (23, 32), गोत बाजार (23), जयस्तंभ चौक (23), जूनीहटरी (23), हास्पिटल रोड (21, 22) भानव
 (31, 32) मंदिर चौक (22), मौजपाठा पारा (32), हामालपाठा (24), आनन्द चौक से गांधी चौक होते हुए गोशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (स्टर्टियन चौक
 से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट रोड) (13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27)

जोन ब्रम्मांक (2) गांधी चौक से दुर्गा दौकीजी रोड (32, 33, 37), ब्राह्मणधारा (32, 33), सालियास सिंथी कालोनी (20), जमातपारा (21), सर्वेश्वराम दार्ढ (22), शिविल
 लाईन (15), सौनारापारा (21, 22, 33), दारवड़ी पारा (27), भारतपारा (25, 26), कैलाडी नगर (27), पावर हाउस (27), दांचपाठा (13), पुराणा रोड चौक
 से लखोली चौक स्कूल के पास (33), घलेंबाड़ी (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट के आगे से पारिनामा तक (12, 27), बर्पाम नगर (17), उदयग
 नगरी (17), पूनम कालोनी (17), दारवड़ी गृह निर्माण (17), चन्द्रा गृह निर्माण (38), मंडेश्वर नगर (39), कुंजिविहारी कालोनी (19), म.प्र. हाउसिंग वोर्ड लोलोनी
 (19, 39), गायर्ड कालोनी (19), स्ट्रिट कालोनी (38), रामकृष्ण नगर (19), झनुपम नगर (19), पावर हाउस से आगे मरीन रोड होते हुए स्टेट ट्रैक कालोनी
 (19, 39), एवं पटेल मॉकेट तक (27), दांचपाठा (22), विनियोग चार्ट (33), विलापारा (21, 33, 37).

जोन ब्रम्मांक (3) सहदेव नगर (19), ममता नगर (11), बिलासपाल (11) देवी चौकहोते हुए टेटबासपाठा तक (33, 37), हीरामाली लाईन (34, 37), पठानपाठा (34), चौखटिया
 पारा (35, 36), ईंटरियो नगर (41), नदीर (42), छार्नीलाल चार्ट (35), पुराणा थाना से कुओं चौक तक (31, 34, 37), कुक्कुंड चौक से पुराणा गोड़ के पास देवी
 पारा (35, 36), ईंटरियो नगर (41), नदीर (42), छार्नीलाल चार्ट (35), पोहारा रोड (41, 42), सिंधी कालोनी (36), लखोली रोड से महेन्द्र लैन वे. मजान तक (29, 43), स्ट्रेटिय
 चौक से पी.टी.एस. तक जी.ई. रोड (17, 19).

जोन ब्रम्मांक (4) स्टेशनपाठा (8, 9, 10), गोरीनगर (11), बन्देश्वर चार्ट (11), चौराजिनभट्टा ग्राम (39), मंतीपुर (5, 6), हुलनीरीपुर (16), शंखराम (7), शालियार (4),
 चिखलती (3, 8, 10), वसंतपुर (48), तेज कल्पना (15), लखोली ग्राम (29, 43), मध्यपाठ (39), पी.टी.एस. से पन्ड्हा तक जी.ई. रोड (17, 18, 19),
 नदालांक (1), दादा एवं नया दादा (2), ऐन्डो (15), रेडीह (16), कन्हातपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगार्द (41), हल्दी (45), मोहू (45).

जोन ब्रम्मांक (5) नदालांक (1), दादा एवं नया दादा (2), ऐन्डो (15), रेडीह (16), कन्हातपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगार्द (41), हल्दी (45), मोहू (45).

संपत्ति कर की दरें

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| अ- | जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6000/- से अधिक हो किन्तु 25000/- से अधिक न हो | - 6% |
| ब- | जहां वार्षिक भाडा मूल्य 25000/- से अधिक हो | - 8% |
| सु- | इनमें से ज्ञानका अवधि ज्ञानका वार्षिक भाडा मूल्य 25000/- से अधिक हो | - 10% (द्वारा प्रतिशत) |
| द- | घोट्टा दैनंदिन एवं रोज़ी चालतन के उपकरणों संस्थाओं, रहकारी समितियों एवं संस्थागत भवन, धूमियों पर | - 10% (द्वारा प्रतिशत) |

समेकित कर की दरें

- क-** ऐसे भवनों/भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से हट प्राप्त है, पर समर्पित कर की राशि ₹. ५०/- कार्यिक.

ख- ऐसे भवन/भूमियों जो सम्पत्ति हट हट प्राप्त नहीं है पर समर्पित कर ₹. १८०/- कार्यिक राशि (५०) सम्पत्ति कर की कुल राशि का १% (एक प्रतिशत)

ग- केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन अर्द्ध वास्तविक उपकरणों आदि के आवासोंव कम्पर्टर पर ₹ १८०/- रु. कार्यिक एवं प्रत्येक सार्थक पर ₹. १८०/- कार्यिक.

घ- केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन निम्न तिनों सम्पत्ति कर देय नहीं हैं-न्यूनतम समर्पित कर ₹ १८०/- रु. तथा + सम्पत्ति कर वी सरि का ५५ (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

आर्थिक भाइंडा मूल्य की गणना के आशय से प्रति तारफुट वार्षिक दर

लोन क्रमांक विवरण		सीमेंट या लोहे की चादर या केवल (टाइल्स)		अन्य आर्थिक पक्के की छतपुक्के भवन		भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य श्रति वर्षा फुट पर अतिरिक्त पर प्रति कर्म फुट	
	और, सी.सी. और, बी.सी. पश्चात की उपयोग होने पर अतिरिक्त फ्रैट	मूल्य मार्ग से पृथक	मूल्य मार्ग से पृथक	मूल्य मार्ग से पृथक	मूल्य मार्ग से पृथक	मूल्य मार्ग से पृथक	मूल्य मार्ग से पृथक
1.	तत तथा भूतत (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये,	19 ०१	17 ०८	13 ०६	11 ०५	०१ ०५	०१ ०४
2.	तत तथा भूतत (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये,	17 ०८	15 ०७	११ ०४	०९ ०३	०५ ०३	०१ ०२
3.	तत तथा भूतत (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये,	१५ ०७	१३ ०६	१० ०४	०८ ०३	०५ ०३	०१ ०२
4.	तत तथा भूतत (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये,	१४ ०७	१२ ०६	१० ०४	०९ ०३	०५ ०३	०१ ०२
5.	तत तथा भूतत (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये,	१४ ०७	१२ ०६	१० ०४	०९ ०३	०५ ०३	०१ ०२
		०१ ०१	०१ ०१	०१ ०१	०१ ०१	०१ ०१	०१ ०१

मध्यप्रदेश विभूत मंडल द्वारा लगाये गये विभूत पोत ट्रांसफार्म एन्स भूरांचार किया गया अधिक शब्दान्तर जैसे लोगों के वाजू-नाम-५-५ फीट घण्टे पर गमानि कर अप्रियता के हिसाब से देख होगा।

आमुदार

प्रारंभिक नियम, राजनामालाः

१

2002 03



कार्यालय नगर पालिका निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

सम्पत्तिकर स्व-निधारण

(वर्ष 2002-2003)

जोन इकाई (1)

गुदाल लाईन (राता सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड ब्रम्मांक (23,24), रामार्पिण मार्ग (24,25,26), क्षमठी लाईन (24,25), गंजलाईन (26,3, सदर बाजार (31,32) हलबाई लाईन (24, 32), सिनेमा लाईन (23,32), गोल बाजार (23), जशस्तंभ चौक (23) लूरीहाटी (23), इस्पिट रोड (21,22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), हलालपारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22,32), जी.ई. रोड (स्टेटियम चौक से अद्वाल ट्रान्सपोर्ट तक) 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27).

जोन इकाई (2)

गांधी चौक से दुर्गा टॉकिं रोड (32,33,37), ब्राह्मणपारा (32,33), लालचारा रिंपी कालोनी (20), जंगतपारा (21), सर्वेश्वरदास वार्ड (22), सिलिल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), बांसपार्ड पारा (37), भरकपारा (25,26), कैलाश नगर (27), पावर हाउस (27), दंकपारा (13), पुरानामंज चौक से लखोली चौक स्कूल के पास (30), सर्वेश्वरदास (14), जी.ई.रोड अद्वाल ट्रान्सपोर्ट के आगे पारीनाला तक (12,27), वर्धमान नगर (17) उद्योग नगरी (17), पूनम कालोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चन्द्र गृह निर्माण (38), महेशनगर (39), छुंजविटा कालोनी (19), म.प्र. शाऊसिंग वोर्ड कालोनी (19,39), गायत्री कालोनी (19), सृष्टि कालोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपग नगर (19), पावर हाउस से आगे मरीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कालोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दीवानपारा (22), दिव्विजय वार्ड (33), किलापारा (21, 33, 37).

जोन इकाई (3)

सर्वेश्वर नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए टेटबारपारा तक (33,37), दीरायाती लाईन (34,37), पटानपारा (34), लखोलीया पारा (35, 36), ईदिरा नगर (41), नंदर्द (42), धार्सादास वार्ड (35), पुराना धाना से लखोली चौक तक (31,34,37), छुआं चौक से पुराना मंज के पास देशी शराब दुकान तक (30,31,42), सतनामीपारा (35), मोहरा रोड (41,42), सिर्फी कालोनी (36), लखोली रोड से नदेन्द्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टैर्टलैम चौक से दी.टी.स्ट. तक तक जी.ई.रोड (17, 15).

जोन इकाई (4)

स्थिरनगर (8,9,10), गौरीनगर (12), आम्बेडकर वार्ड (11), दौर्लभभाटा ग्राम (39), मोतीपुरा (5,6), तुल्सीपुरा (16), शंकरपुरा (7) शांति नगर (4), चिल्ली (3,8,10), बसंतपुर (40), लेवर कालोनी (15), लखोली ग्राम (29, 43), मठपारा (30), पी.टी.एस. से नेन्द्र तक जी.ई.रोड (17,18,19).

जोन इकाई (5)

नवागांव (1), दामा एवं नदा दामा (2), पन्नी (18), रेवाढी (18), कन्हातपुरा (28), मोहता ग्राम (41), ग्राम सिंगदर्द (44), छर्दी (45), मोहड (44).

संपत्ति कर की दरें

1. जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6,000 रु. से अधिक हो किन्तु 25,000 रु. से अधिक न हो
2. जहां वार्षिक भाडा मूल्य 25,000 रु. से अधिक हो किन्तु 80,000 रु. से अधिक न हो
3. जहां वार्षिक भाडा मूल्य 80,000 रु. से अधिक हो किन्तु 1,50,000 से अधिक न हो
4. जहां भाडा मूल्य 1,50,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,00,000 से अधिक न हो
5. जहां वार्षिक भाडा मूल्य 2,00,000 से अधिक हो किन्तु 2,50,000 से अधिक न हो
6. जहां वार्षिक भाडा मूल्य 2,50,000 से अधिक हो

6% (छ: प्रतिशत)

7% (सात प्रतिशत)

9% (नौ प्रतिशत)

12% (बारा प्रतिशत)

15% (पन्द्रह प्रतिशत)

20% (चाल प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- a-** ऐसे भवनों / भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- b-** ऐसे भवन/ भूमियों जो सम्पत्ति कर छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) सम्पत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत)
- c-** केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ अर्ज्ज शासकीय उपकरणों आदि के आवासीय क्षार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- d-** केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ निगम जिन्हे सम्पत्ति कर देय नहीं हैं, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + सम्पत्ति वर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिका निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

11/03/2015
21/3/2015



कार्यालय नगर पालिका निगम, राजनांदगांव (उत्तीर्णगढ़)

संपत्तिकर स्व-निधारण

(वर्ष 2005-06)

- ज्ञान क्रमांक (1)** मुद्राशुल्क लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23, 24), सामग्री नारी (24, 25, 26), कागमटो लाईन (24, 25) गज लाईन (26, 31), सदर बाजार (31, 32), हल्लाई लाईन (24, 32), तेनेपा लाईन (23, 32), गोल बाजार (23), जगत्संभ चौक (23), जूनीहटरी (23), हायपिटल रोड (21, 22), मानव मंदिर चौक (22), गोशाला पारा (32), गोशाला पारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गोशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (रटेलियन वार्ड से अपवाहि देवतावार्ड तक) (13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27).
- ज्ञान क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकीज रोड (32, 33, 37), गाहुगांगा पारा (32, 33), लालबाग चिंची कॉलोनी (20), जगमत्पारा (21), सर्वेश्वरदास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), वांसपाई पारा (37), भरकापारा (25, 26), केलाश नगर (27), पावर हाउस (27), टांकापारा (13), पुरानाराज चौक से लखोरी चौक रस्कूल के पास (30), वलेंग नाम (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रांसफोर्ट से आगे से पारीनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17), उत्तीर्ण नगरी (17), गुप्त (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चन्द्र गृह निर्माण (38), महेश नगर (39), बुंदेलिहारी कॉलोनी (19), न.प्र. हाऊरीगांव कॉलोनी (19), शक्ति गृह निर्माण (17), चन्द्र गृह निर्माण (38), महेश नगर (39), बुंदेलिहारी कॉलोनी (19), न.प्र. हाऊरीगांव वार्ड कॉलोनी (19, 39), गायरी कॉलोनी (19), सृष्टि कॉलोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाउस से आगे मध्यन रोड होते हुए स्टेट बैंक कॉलोनी एवं पटल मार्केट तक (27), दीवानपारा (22) दिविजय वार्ड (33), फिल्मपारा (21, 33, 37).
- ज्ञान क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए ढंठदारपाश तक (36, 37), दीरपांती लाईन (34, 37), पानपारा (34), चौखडिया पारा (35, 36), इदिरा नगर (41), नंदई (42), घासोदास वार्ड (35), पुराना थाना से कुआं चौक तक (31, 34, 37), कुआं चौक से पुराना मंजू के पास देशी शराब दुकान तक (30, 31, 42), गतनामी घास (35), मोहाय रोड (41, 42), चिंची कॉलोनी (36), लखोरी राणे से महन्द्र जन के मकान तक (28, 43), रटेलियन चौक से ई.टी.ए.ल. तक जी.ई. रोड (17, 19).
- ज्ञान क्रमांक (4)** स्टेशनपारा (8, 9, 10), गारी नगर (12), आम्बेडकर वार्ड (11), बास्त्रभाटा ग्राम (35), खांडीगुरु (5, 6), बुलांगांव (16), शंकरपुर (7), शांति नगर (4), दिखली (3, 8, 10), वरंतपुर (40), लेवर कॉलोनी (15), लखोरी ग्राम (29, 43), भटपारा (30), कॉटी-एस. से पेण्डी तक जी.ई. रोड (17, 18, 19).
- ज्ञान क्रमांक (5)** नवगांव (1), दावा एवं नवा दावा (2), पेण्डी (18), रेवाडीह (16), कन्हारपुरी (28), मोहला ग्राम (41), ग्राम सिंगड़ (44), हल्दा (45), मोहड़ (44).

संपत्ति कर की दरें

क्र.	विवरण	कर की दर
1.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6,000 रु. से अधिक हो किन्तु 25,000 रु. से अधिक न हो	6% (ज. प्रतिशत)
2.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 25,000 रु. से अधिक हो किन्तु 80,000 रु. से अधिक न हो	7% (सात प्रतिशत)
3.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 80,000 रु. से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु. तक अधिक न हो	9% (नौ प्रतिशत)
4.	आरा मरीन, पूर्णा ट्रिल, गोदाम, राईस मिल जूलू, जूलू मिल (जहां वार्षिक भीडा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक न हो)	9% (नौ प्रतिशत)
5.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 1,50,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,00,000 रु. से अधिक न हो	12% (वारह प्रतिशत)
6.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 2,00,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो	15% (पन्द्रह प्रतिशत)
7.	जहां वार्षिक भाडा मूल्य 2,50,000 रु. से अधिक हो	20% (वीस प्रतिशत)
8.	नरिंग शोग, वार, निजी चिकित्सालय, रस्टोरेंट (जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो)	18% (अठारह प्रतिशत)
9.	पेट्रोल पंप, टॉकीज, लॉज (जहां वार्षिक भाडा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो)	15% (पन्द्रह प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क - ऐसे भवनों / भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख - ऐसे भवन / भूमियों जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) संपत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत).
- ग - केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / अद्व शासकीय उपकरणों आदि के आवारीय क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रयोग कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ - केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / नियम जिन्हें संपत्ति कर देय नहीं है, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + संपत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत).

आयुवत

कार्यालय पालिका निगम, राजनांदगांव (उत्तीर्णगढ़)

दार्शिक भाडा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट दार्शिक दर

संख्या	प्रत्येक भूमि की गणना की तारीख	अन्य आधिक परके		भूमि का वापिक वाहा मूल्य	टायदसाइक / चौथोगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त परिमि याफुट
		या कवर्ट (टाईल्स)	चरबुद्धत परके भवन		
1.	आर. बी. सी. आर. बी. सी. परदार की छतबुद्धत परके भवन	सीमेट या लोहे की चार या कवर्ट (टाईल्स) ५ छतबुद्धत परके भवन	या कवर्ट भवन	मुख्य भाग से पृथक	मुख्य भाग से पृथक
2.	मुख्य भाग मुख्य भाग से पृथक	मुख्य भाग मुख्य भाग से पृथक	मुख्य भाग मुख्य भाग से पृथक	मुख्य भाग मुख्य भाग से पृथक	मुख्य भाग मुख्य भाग से पृथक
3.	तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक भूजिल के लिये	19 09	17 08	13 06	11 05
4.	तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक भूजिल के लिये	17 08	15 07	11 04	07 01
5.	तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक भूजिल के लिये	15 07	13 06	10 04	07 03
6.	तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक भूजिल के लिये	14 07	12 06	09 04	07 03
7.	तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक भूजिल के लिये	09 06	07 05	05 04	02 01

आकृति
नगर पालिका निगम राजनाथगढ़ (छ.प.)

2006-07 ते 2011 तक
कार्यालय नगर पालिका नियम, साजनांवर्गाव (छत्तीसगढ़)



संपत्तिकर रद्द-विधारण

वर्ष 2006-07
3। ३। २०१। तक

- जोन क्रमांक (1)** गुडाख लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड), वार्ड क्रमांक (23,24), रसार्थीन मारा (24, 25,26), कामठी लाईन (24,25), गंज लाईन (26, 31), सूक्ष्म बाजार (31,32), हलवाई लाईन (24,32), सिनेमा लाईन (23,32), गोल बाजार (23), जय स्टंभ चौक (23), जूनी हटरी (23), हास्पिटल रोड (21,22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), हमाल पारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22,32), जी.ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक) (13,14,15,19,20,22,24,26,27)
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकिंज रोड (32,33,37), ब्राह्मण पारा (32,33), लालबाग सिंधी कॉलोनी (20), जमातपारा (21) सर्वेश्वर दास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनार पारा (21,22,33), बांसपाई पारा (37), भरकापारा (25,26), कैलाश नगर (27), पावर हाऊस (27), टांका पारा (13), पुराना गंज चौक से लखोली चौक स्कूल के पास (30), बलदेव बाप्पा (14), जी.ई. रोड अथवाल ट्रांसपोर्ट से आगे से पार्सेनला तक (12,27), वर्धमान नगर (17) उद्याग नगरी (17), पूनम कॉलोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चट्टाग गृह नियम (38), महेश नगर (39), कुंजदिलारी कॉलोनी (19) म.प्र. हाऊसिंग दोर्ड कॉलोनी (19, 39), गायत्री कॉलोनी (19), सृष्टि कॉलोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावरहाउस से आरा मशीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कॉलोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दीवान पारा (22), दिव्यिजय वार्ड (33), किलापारा (21,33,37)
- जोन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए ठेठवार पारा तक (33,37), हीरामोती लाईन (34,37), पठानपारा (34), चौखड़िया पारा (35,36), इंदिरा नगर (41), नंदर्ह (42), घासीदास वार्ड (35), पुराना थाना के कुंआ चौक तक (31,34,37), कुंआ चौक से पुराना खेज के पास देशी शराब बुकान तक (30,31,42), सतनामी पारा (35), मोहारा रोड (41,42), सिंधी कॉलोनी (36), लखोली रोड से महेन्द्र जैन के मकान तक (29,43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एस तक जी.ई. रोड (17,19)
- जोन क्रमांक (4)** स्टेशनपारा (8,9,10), गोरी नगर (12), आदेढ़कर दार्ट (11), कोरिकापाड़ा ग्राम (29) मोर्दुरु (5,6), उत्तरसुरु (16), शंकरपुर (7) शांति नगर (4) खिली (3,8,10), बसंतपुर (40), लेहर कॉलोनी (15), लखोली ग्राम (29,43), मरपारा (30), पी.टी.एस से पेण्टी तक जी.ई. रोड (17,18,19)
- जोन क्रमांक (5)** नवांगाव (1), डाबा एवं नया डाबा (2), पेंडी (18), रेवडीह (18), कन्दारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगदई (44), हल्दी (45), मोहड़ (44)

संपत्ति कर की दरें

क्र.	विवरण	कर की दरें
1.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक हो किन्तु 25,000 रु से अधिक न हो	6% (छ: प्रतिशत)
2.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25,000 रु से अधिक हो किन्तु 80,000 रु से अधिक न हो	7% (सात: प्रतिशत)
3.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,000 रु से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु से अधिक न हो	9% (नौ: प्रतिशत)
4.	आरा, मशीन, पोहा मिल, गोदम, राईस मिल	9% (नौ: प्रतिशत)
5.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु से अधिक न हो	12% (बारह: प्रतिशत)
6.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,000 रु से अधिक हो किन्तु 2,00,000 रु से अधिक न हो	15% (पन्द्रह: प्रतिशत)
7.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,00,000 रु से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रु से अधिक न हो	20% (बीस: प्रतिशत)
8.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,50,000 रु से अधिक हो	18% (अठारह: प्रतिशत)
9.	नर्सिंग होम, बार, निजी चिकित्सालय, रेस्टोरेंट (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रु से अधिक न हो)	15% (पन्द्रह: प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क - ऐसे भवनों/ भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख - ऐसे भवन/ भूमियों जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) संपत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत).
- ग - केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ अर्द्धशासकीय उपक्रमों आदि के आवासी क्षर्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ - केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ नियम जिन्हें संयक्षित कर देय नहीं हैं, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + संपत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत).

आयुक्त

द्वारा: पालिका नियम, साजनांवर्गाव (छ.ग.)

तारिख द्वारा अपनी जीवनी का लिखना चाहते हैं।

आर.सी.सी.
आर.सी.पथर की
सीमेंट या लोहे की चादर या
कपल्क (टाइल्स) की
अच्युतोदय पाठ्यक्रम
या साज्जे भद्रन

तीनों झाले विवरण	आर.सी.सी.	सीमेंट या लोहे की चादर या कवच (टाइल्ट) की छतमुक्त पकड़े भवन	अन्य असिक पानी या कच्चे भवन	भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य प्रति वर्गफुट	व्यवसायिक औद्योगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त पर्याप्ति की जानी
मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	13	17	13	11	11
प्रत्येक परिलक के लिये	09	08	06	05	05
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	17	15	11	09	07
प्रत्येक मंजिल के लिये	08	07	04	03	03
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	15	13	10	08	07
प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	14	12	09	07	07
प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	09	07	05	04	03
प्रत्येक मंजिल के लिये	06	05	04	02	02
:- प्रत कामदेशन में भी संपादिकर लागू किया जाता है तथा वहुमंजिला इमारतों के प्रथम तल पर रोपणिकर की दर निर्धारित होती। उल्लंघन निर्धारित दर (जैसे बहुमंजिला इमारत की भूतल का संपादिकर रु. 18/- - प्रति वर्ग फीट वार्षिक दर है तथा उल्लंघन दर में रुपये 2/- - दर्दि फीट वार्षिक दर कम कर मध्यम तल में रुपये 16/- - प्रति वर्ग फीट वार्षिक दर से एवं उसके ऊपर अन्य मंजिलों की वार्षिक भाड़ा पहला रुपये 16/- - प्रति वर्ग फीट विधारित होती)। भूतल एवं मध्यम मंजिल तथा उसके ऊपर अन्य मंजिलों से संपरिकर वर्गत लिए जाते हैं।					
: आवृक्त : नगर पालिक नियम सनजांदगाँव (छ.ग.)					

: आयुर्वेद :
नवार पालिक निगम
राजस्थान दर्शक (छ.ग.)

1/- प्रेस काम्पायरेट्स में भी सामाजिक लागू रिखा जाता है तथा वह मसीला इमरर्शनों के प्रभाव तल पर एवं दिव्यता तल पर सामाजिक रूप की दर नियंत्रित होगी। उत्तर नियंत्रित दर (जैसे बहुमतिला ईमर्शन दर की भूतकाल का संपरिकरण, १८/- प्रति वर्ष कीट वार्षिक दर में ऊपर से २/- दूषकीट वार्षिक दर कम कर प्रथम तल में ऊपर से १६/- प्रति वर्ष कीट वार्षिक दर से एवं उसके ऊपर अन्य मसिलों द्वारा प्रतिक्रिया करने के लिये १५/- प्रति वर्ष कीट वार्षिक दर होगी)। यूरोप एवं प्रथम मसिल तथा उसके ऊपर अन्य मसिलों द्वारा प्रतिक्रिया करने के लिये १५/- प्रति वर्ष कीट वार्षिक दर होगी।

कार्यालय नगर पालिका निगम राजनांदगाव

वर्ष 2011-12 हेतु संपत्तिकार रव निर्धारण की दरें।

(1) वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें

जोन कमांड वि

आर सी.सी. स्टोरेज या लाई वी चादर
आर वी.सी. पट्टवर कम्पनी (ठार्टिंग) वी छायुक्त
वी छतुपुक्त पयके पयके भवन !

४।	अन्य आर्थिक प्रकार की भूमि का वर्णित या कर्त्त्व भवन भवान गृह्य प्रति	व्यवसायिक ओपोलिक उपयोग वर्षाईट हाले प
----	--	---

	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृष्ठक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृष्ठक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृष्ठक
1. तल तथा भूतल (प्रत्येक)	19	17	13	11	11	09
प्रत्येक मजिल के लिए	09	06	06	06	05	04
2. तल तथा भूतल (प्रत्येक)	17	15	11	09	07	05
प्रत्येक मजिल के लिए	08	07	06	03	03	02
3. तल तथा भूतल (प्रत्येक)	15	13	10	08	07	05
प्रत्येक मजिल के लिए	07	06	04	03	02	02
4. तल तथा भूतल (प्रत्येक)	14	12	08	07	07	05
प्रत्येक मजिल के लिए	07	06	04	03	03	02
5. तल तथा भूतल (प्रत्येक)	09	07	05	04	03	02
प्रत्येक मजिल के लिए	06	05	04	03	02	01

टीप: 1- प्रेस काम्पलेक्षन में भी सचित्तिकर लागू दिया जाता है तथा हार्डवेरिंग इमेजेजेन के प्रधान तत्व एवं हिन्दीय तत्व पर संक्षेपित्व की दर नियांसित होती है। उक्त नियांसित दर (जैसे व्हर्किंगलाइन इमेजेज की कूटल का सचित्तिकर रू. 1/-) -प्रति वर्गफॉट वार्पिंग के दर है तथा उक्त दर में रुपये 2/- वर्गफॉट वार्पिंग के दर कम कर प्रधान तत्व में रुपये 16/- प्रति वर्गफॉट वार्पिंग दर से एवं उक्त उक्तके ऊपर आन्य मजिलों की वार्पिंग काढ़ा मूल्य रुपये 16/- प्रति वर्गफॉट नियांसित होती है (मूल्य एवं प्रथम मजिल तथा उसके ऊपर आन्य मजिलों से संबंधितकर बदूल की जाती है)।

2. एन.आई.सी.द्वारा पारित संकलन अनुसार वर्द्ध 2011-12 में घटनाकालीन घटना के बारे में विवरित प्रति वर्गचूक्ति + अतिरिक्त दर पर 25% अधिक वर्ग दर से संतुष्टि नहीं होती।

(2) संपत्तिकर की दरें (स्लेब में)

(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन आदेश पंक. 4021/263/18/2011दिनांक
4/06/2011 के अनुसार)

- वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000/- तक मुक्त
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001/- से 12000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/-
 - वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक/-

- तक 6 प्रतिशत
- तक 8 प्रतिशत
- तक 10 प्रतिशत
- तक 12 प्रतिशत
- तक 15 प्रतिशत
- तक 18 प्रतिशत
- तक 20 प्रतिशत

आयुक्त,

કાન્દા: 2 પા

$$\frac{94 - 96}{60 \times 36} = \frac{2}{1080} = \frac{1}{540}$$

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

संपत्तिकर स्व निधारण के लिए संपत्तिकर जोन

वर्ष 2011-12

प्र० १२ - ३

संपत्तिकर जोन

जोन ब्रमांक (1)

युदाख लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वाई ब्रमांक (23,24) रामधारि मारा (24,25,26) बामटी लाईन (24,25) गंज लाईन (26,31) सदर बाजार (31,32) हल्वाई लाईन (24,32) सिनमा लाईन (23,32) गोल बाजार (23) जय सोभा चौक (23) जूनी इर्टी (23) हासियरी रोड (21,22,) मानव मंडिक चौक (22) गौशाला पारा (32) हमाल पारा (24) मानव मंडिक चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22,32) जी. ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक) (13,14,15,19,20,22,24,26,27)

जोन क.मांक (2)

गांधी चौक से दूरी टार्फिज रोड (32,33,37) ब्राह्मण पारा (32,33) लाल बाग सिपी कालोनी (20) भगात पारा (21) सर्वेश्वरदाम वार्ड (22) सिविल लाईन (15) सोनार पारा (21,22,33) बासपार्टी पारा (37) भरकापारा (25,26) केलाला नगर (27) पावर हाउस (27) टांचा पारा (13) पुराना गंज चौक से लखोली चौक स्कूल के पास (30) बल्देव बाग (14) जी. ई. रोड अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के आगे से लारी नाला तक (12,27) बर्धमान नार (17) उपोय नारी (17) पूनम कालोनी (17) शास्त्री गृह निर्माण (17) चाढ़ा गृह निर्माण (36) महेश कार (35) कुञ्ज चिह्न कालोनी (19) म. प्र. होउसिंग बोर्ड कालोनी (19,39) गायत्री कालोनी (19) शृष्टि कालोनी (39) गमकृष्ण कार (19) अनुपम नार (19) पावर हाउस आगमजीन रोड होते हुए स्टेट बैंक बालोनी एवं पेटल मार्गेंट तक (27) दीवानक शारा (22) दिव्याजय वार्ड (38) दिल्ला पारा (21,33,37)

जोन ब्रमांक (3)

सहेदव नगर (19) ममता कार (17) मिल चाल (14) दुर्गा चौक होते हुए छब्बी बाग तक (33,37) हिंदूलाली लाईन (34,37) पठान पारा (34) चौंडियडा पारा (35,36) ईर्का नार (41) नदी (42) पार्सीदास वार्ड (35) पुराना शान से कुड़ी चौक होता (33,34,37) कुड़ा चौक से पुराना गंज के पास दर्शी शान दुबाल तक (30,31,42) सदनमसी पारा (35) संहारा रोड (4), 42 मिथी कालोनी (38) लालोर्ड रोड से महान हैल तक (29,43) स्टेडियम चौक से ए. टी. प्लॉ. तक जी. ई. रोड (17,19)

जोन ब्रमांक (4)

स्टेन पारा (6,5,10) गौरी कार (12) आन्डेडकर वार्ड (11) कॉर्सर भाटा ग्राम (39) सोर्टारु (5,6) हुल्मीरु (16) शंकर मुरु (7) शांतिनगर (4) चिंखली (3,8,10) बस्तंतुरु (40) लंबर कालोनी (15) लड्डोली ग्राम (29,43) मठवारा (30) ए. टी. प्लॉ. से फैर्ही तक जी. ई. रोड (17,18,19)

जोन ब्रमांक (5)

नवांगव (1) ढाबा एवं नया ढाबा (2) फैर्ही 18) रेवाडीह (18) कन्हारुपुरी 28) मोहारा ग्राम (41) गृम सिंगर्ड (44) हल्टी (45) मोहड (44)

द्वारा 137 के अधीन समयावधि के पूर्व चालू वर्ष 2011-12 की देय

संपत्तिकर एक मुश्त जमा करने पर छुट

(एम0आई0सी0 द्वारा प्रस्ताव को 5 दिनांक 1/7/2011 में पारित)

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2011 तक | 6.25% |
| 2. 1 जून 2011 से 31 जुलाई 2011 तक | 5% |
| 3. 1 अगस्त 2011 से 30 सितंबर 2011 तक | 4% |
| 4. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2011 तक | 2% |

समेकितकर की दरें।

1. संपत्तिकर योग्य भवन से - 600/- वार्षिक

2. संपत्तिकर से मुक्त भवन से - 300/- वार्षिक

आयुक्त,

नगर पालिक निगम राजनांदगांव